परिशिष्ट-एक

लोक शिक्षण संचालनालय

[28/7/2017]

गौतम नगर भोपाल 462021
दूरभाष-91-0755-2583650 फैक्स-91-0755-2583651

प्रश्न सं. [क्र. 3108]

क्रं./स्था-1/सत/सी/84-04/2015/1276 भोपाल, दिनांक 18/7/(

//आदेश//

श्री कोमल सिंह परिहार, तत्कालीन प्राचार्य शा. उत्कृष्ट उमावि सेवढा जिला दतिया,वर्तमान में प्राचार्य उत्कृष्ट उमावि लहार, भिण्ड द्वारा फर्नीचर उपकरण,स्टेशनरी आदि बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के क्रय किए जाने तथा भण्डार क्रय नियम का पालन नहीं कर 20.73 लाख की अनियममितता किए जाने के कारण संचालनालय के पत्र क्र0/स्था01/सत/सी/दतिया/84/2015/309 दिनांक 17.02.2017 द्वारा उन्हें आरोपपत्रादि जारी कर प्रतिवाद 14.03.2017 तक चाहा गया था।

श्री परिहार प्राचार्य को आरोप पत्र प्राप्त न होने पर संचालनालय के पत्र दिनांक 24.04.2017 द्वारा पुनः जिला शिक्षा अधिकारी,भिण्ड को आरोप पत्र उपलब्ध कराकर पावती उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया। विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 2630 दिनांक 21.02.2017 का पूर्ण उत्तर तैयार करते समय श्री परिहार को आरोपपत्रादि प्राप्त नहीं होने की जानकारी संज्ञान में आने पर संचालनालय के पत्र दिनांक 14.06.2017 को पुनः आरोप पत्र तामिल कराकर पावती प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। जिसके अनुक्रम में श्री परिहार द्वारा आरोप पत्र आदि दिनांक 16.06.2017 को प्राप्त किए गए।

श्री परिहार प्राचार्य द्वारा इसके बावजूद भी आरोप पत्र का प्रतिवाद निर्धारित समयावधि के पश्चात भी प्रस्तुत नहीं करने के कारण, म.प्र.सिविल सेवा(वर्गीकरण,नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 14 के तहत विभागीय जांच संस्थित करने का निर्णय लिया गया है ।

अतएव, म.प्र.सिविल सेवा(वर्गीकरण,नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के उपनियम (5) (बी) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री कोमल सिंह परिहार, तत्कालीन प्राचार्य शा. उत्कृष्ट उमावि सेवढा जिला दतिया,वर्तमान में प्राचार्य उत्कृष्ट उमावि लहार, भिण्ड के विरूद्ध लगाये गये आरोपों की जांच करने के लिए संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, ग्वालियर संभाग,ग्वालियर को जांचकर्ता अधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी, जिला भिण्ड को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया जाता है ।

"आयुक्त द्वारा अनुमोदित"

(अंजू पवन भदौरिया)
संचालक
लोक शिक्षण,मध्यप्रदेश

पृ./स्था-1/सत/सी/84-04/2015/1277 भोपाल, दिनांक 18/7/(

प्रतिलिपिः-

1- संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, ग्वालियर सभाग,ग्वालियर म.प्र. की ओर आरोपपत्रादि की छायाप्रति संलग्न कर लेख है कि प्रकरण की जांच एक माह में पूर्णकर जांच प्रतिवेदन अभिमत सहित प्रस्तुत करें ।

2- जिला शिक्षा अधिकारी,जिला भिण्ड म.प्र. की ओर आरोपपत्रादि , की छायाप्रति संलग्न कर लेख है कि प्रकरण की जांच एक माह में पूर्णकराकर जांच प्रतिवेदन अभिमत सहित प्रस्तुत करें ।

3- श्री कोमल सिंह परिहार, तत्कालीन प्राचार्य शा. उत्कृष्ट उमावि सेवढा जिला दतिया,वर्तमान में प्राचार्य उत्कृष्ट उमावि लहार, भिण्ड की ओर पालनार्थ प्रेषित।

संचालक
लोक शिक्षण,मध्यप्रदेश

अनुभाग अधिकारी,
मध्य प्रदेश शासन.

D/kp jaat/AB/order